न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **103/2023** दायर दिनाँक **20.07.2023**

वादीया		**प्रतिवादी**
1.पेमीदेवी पत्नी जयरामाराम जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री छोटूराम चौधरी एडवोकेट वादीया।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीया के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 371/733 रकबा 0.1400 गै.मु.रास्ता वाके सरहद सिंगरावट कलां पटवार हल्का बालिया तहसील डीडवाना में अवस्थित है। वर्तमान में सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रार्थीया के उक्त खसरा संख्या 371/733 रकबा 0.1400 गै.मु.रास्ता भूमि कि किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है जो कि नजरी नक्शा में मार्ग ए से बी दर्शाया गया है जबकि मार्ग ए से बी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कभी नहीं था। उक्त भूमि प्रार्थीया की कृषि भूमि रही है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने से प्रार्थीया को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। अतः उक्त खसरा की भूमि प्रार्थीया की कृषि भूमि दर्ज करवाने व नजरी नक्शा से मार्ग ए से बी रास्ता हटवाने जाने हेतु रास्ता रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

खसरा संख्या 371/733 रकबा 0.1400 गै.मु.रास्ता वाके सरहद सिंगरावट कलां पटवार हल्का बालिया की भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्ग ए से बी दर्शाया हुआ है को हटाया जाए प्रार्थीया की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक रीडर/2023/868 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम सिंगरावट [illegible] खेत खसरा संख्या 371/733 रकबा 0.1400 गै.मु.रास्ता [illegible] हुआ चला आ रहा है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] पेमी देवी पत्नी जयरामाराम जाति जाट के नाम ग्राम [illegible] खातेदारी भूमि दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के खसरा संख्या 371/733 रकबा 0.14 है. किस्म गै.मु. रास्ता का अंकन है जो खातेदारी में दर्ज है तथा नक्शा शीट में उक्त रास्ता की तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:45:38 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अंकित है। लेकिन मौके पर रास्ते के कोई आलामात दर्ज नहीं है। खसरा नम्बर 401 गै.मु.रास्ता मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 371/733 मौके पर रास्ते के रूप में कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में रास्ता नहीं चलने से पडोसी खातेदारों का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम सिंगरावट कलां पटवार हल्का बालिया के खेत खसरा संख्या 371/733 रकबा 0.1400 है. भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता को हटाया जाकर वादीया की कृषि भूमि दर्ज की जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.02.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:45:38 IST
Reason: SelfAttested